


राजस्थान सरकार  
आयोजना विभाग  
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण  
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।

क्रमांक: एफ17(8)26/डीईएस/रा.ज.आ.यो/सत्यापन/2020/

दिनांक: 19.05.2021

परिपत्र-5

समसंख्यक परिपत्र दिनांक 12.02.2021 के अन्तर्गत राजस्थान जन-आधार योजनान्तर्गत शहरी क्षेत्र (जिला स्तर एवं अन्य शहरी निकाय) के नामांकन एवं अद्यतन के प्रथम सत्यापन कार्य हेतु नगरीय निकायों के अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त को अधिकृत किया गया है, जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए प्रदेश के केवल नगर निगमों के आयुक्त के स्थान पर नगर निगमों के जोन उपायुक्त को राजस्थान जन-आधार योजनान्तर्गत नामांकन एवं अद्यतन के प्रथम सत्यापन कार्य हेतु अधिकृत किया जाता है। नगर निगमों के अतिरिक्त अन्य नगरीय निकायों के लिए सत्यापन की व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी।


  
(नरजन आर्य)  
मुख्य सचिव  
एवं अध्यक्ष

क्रमांक: एफ17(8)26/डीईएस/रा.ज.आ.यो/सत्यापन/2020/

दिनांक: 19.05.2021

प्रतिलिपि:-निम्न को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष महोदय राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, राजस्थान।
3. आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, जयपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, संभाग कार्यालय, राजस्थान।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. निदेशक (तकनीकी), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेस लि., जयपुर, राजस्थान।
7. निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त जिले।
9. एस.ए./ए.सी.पी.(उपनिदेशक), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, समस्त जिले।
10. समस्त आयुक्त नगर निगम, राजस्थान।
11. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, अन्य नगरीय निकाय।
12. उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी समस्त, राजस्थान।
13. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी/प्रोग्रामर, समस्त, पंचायत समिति, राजस्थान।
14. रक्षित पत्रावली।

  
शासन सचिव, आयोजना विभाग  
एवं पदेन महानिदेशक